

18.05.2023

पत्रावली पेश हुई । वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी की हाजरी माफी विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत। सुना। स्वीकार। अभियुक्त हाजिर नहीं। अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी हो। परिवादी पैरवी ले। पत्रावली वास्ते हाजरी हेतु दिनांक 17.07.2023 को पेश हो।

अनीता गुंज्याल
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
18.05.2023